

राजस्थान-सरकार
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना जिला बालोतरा

प्रकरण संख्या:-

GCMS NO:- 2025/674

--: आदेश :-

प्रार्थी/प्रार्थीगण के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी पादरु व भूअनि पादरु की रिपोर्ट तथा तहसीलदार सिवाना/सम्बद्धी की रिपोर्ट व प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज यथा आधारकार्ड, मतदाता पहचानपत्र, पेन कार्ड, जनाधारकार्ड।

पटवारी हल्का की रिपोर्ट व तहसीलदार सिवाना/सम्बद्धी की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत निम्नानुसार शुद्धि की जाकर तदनुसार तहसीलदार सिवाना/सम्बद्धी को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश दिये जाते हैं:-

क्र.सं	ग्राम	खसरा संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
01	इटवाथा	416, 588, 473, 475 615, 549, 550, 551, 552.	विशाना पुत्र गिरधारी गिरधारी विशानराम पुत्र गिरधारी	विशान सिंह पुत्र गिरधारी सिंह

(सुरेन्द्र सिंह खंगारोत)
उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

कमांक- /राजस्व/ग्रा.से.शिविर/2025/1877

दिनांक- 25-10-2025

प्रतिलिपि -

1. तहसीलदार सिवाना/सम्बद्धी को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अनल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी/प्रार्थीगण विशान सिंह पुत्र गिरधारी सिंह जालि पुरोहित निवासी इटवाथा तहसील सिवाना/सम्बद्धी जिला बालोतरा
3. रक्षित पत्रावाली



उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

